

महिला एंव बाल कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता/कानूनी सहायता प्रार्थना पत्र
(यह प्रार्थना पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा)

1. श्रीमती.....आयु.....
2. जिला..... तहसील.....
3. नगर ग्राम का पूरा पता.....
4. पति का नाम व पूरा पता
5. जाति
6. यदि प्रार्थिनी कहीं कार्य करती है अथवा उसके पास चल या अचल सम्पत्ति है तो सभी स्रोतों से प्राप्त आय का विवरण.....
7. प्रार्थिनी को यदि किसी अन्य स्रोत से कोई सहायता/अनुदान भरण पोषण हेतु मिली अथवा मिल रही है तो उसका पूर्ण विवरण.....
8. प्रार्थिनी को उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि.....
9. यदि कोई शारीरिक त्रुटि हो तो उसका उल्लेख किया जाये.....
10. बैंक का नाम खाता संख्या.....

आवेदिका का
पासपोर्ट साइज
फोटो

प्रार्थिनी द्वारा शपथ

मैं प्रमाणित करती हूँ कि:- मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मरी गुजर बसर करने का कोई जरिया नहीं है। मेरा सभी स्रोतों से होने वाली कुल आय केवल रू0..... प्रतिमास है। मेरी जानकारी में उपरोक्त विवरण सही है। यदि कोई विवरण गलत हुआ तो धनराशि मुझे सहायता के रूप में दी जायेगी उसे राजकीय कोष में वापस कर दूँगी तथा यदि मैं ऐसा न करू तो राजस्व देयों की भाँति यह समस्त धनराशि मुझसे वसूल की जा सकेगी और मैं इसके लिए रहूँगी।

पुर्नविवाह की दशा में मैं अपने पुर्नविवाह की सूचना संबंधित जिला प्रोबधन अधिकारी लखनऊ को स्वयं दूँगी।

प्रार्थिनी के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

रिश्तेदार का नाम व सम्बन्ध.....

आयु

आमदनी प्रतिमास.....

प्रार्थिनी की सहायता करने में समर्थ/असमर्थ: